न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चमोली।
सीएनआर नं0— यू.के.सी.एल.020003742022
प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या—93/2022
उत्तराखण्ड बनाम अरविन्द।

दिनांक : 29.09.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वाद पुकारा गया। अभियोजन की ओर से विद्वान नामिका अधिवक्ता श्री भारत भूषण पुरोहित न्यायालय में उपस्थित है। आज प्रकरण में प्रभारी निरीक्षक थाना गोपेश्वर के प्रार्थना पत्र प्रपत्र संख्या 9क/1, वाहनों की नीलामी विवरणी प्रपत्र संख्या 9क/2, प्रार्थना पत्र प्रपत्र संख्या 9क/3, रिपोर्ट थाना गोपेश्वर प्रपत्र संख्या 9क/4, मय ई—चालान प्रपत्र संख्या 9क/5, 9क/6 व जीएसटी प्रपत्र संख्या 9क/7 प्रस्तुत की गयी। पत्रावली में रखी जाए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित है कि प्रभारी निरीक्षक थाना गोपेश्वर की रिपोर्टानुसार इस प्रकरण से सम्बन्धित वाहन संख्या यू.ए.07 2295 की नीलामी दिनांक 18.07.2022 को गठित समिति द्वारा सम्पादित की जा चुकी है। जिसमें उक्त वाहन के अलावा 13 अन्य वाहनों की नीलामी से धनराशि ₹29,550.00 प्राप्त किए गए है जिसे पुलिस लेखा शीर्षक 0055 पुलिस अधीक्षक, चमोली दिनांकित 02.08.2022 व दिनांकित 25.08.2022 को कुल धनराशि ₹29,550.00 भारतीय स्टेट बैंक शाखा, गोपेश्वर में जमा करवाया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित वाहन संख्या यू.ए.07 2295 की नीलामी दिनांक 18.07.2022 को की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अब प्रस्तुत प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है। तदनुसार यह वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।